



प्रशासन अनुभाग

सं. मानू/प्रशासन/मि.110/2022-23/145

दिनांक : 04 मई, 2023

कार्यालय आदेश

विषय: मानू-प्रशासन-संशोधित दरों पर पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों को महंगाई राहत के भुगतान के संबंध में।

- संदर्भ:**
1. कार्यालय ज्ञापन सं.42/04/2023-पी एवं पीडब्ल्यू (डी) दिनांक.06.04.2023 कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
 2. यूजीसी परिपत्र सं.एफ-67-3/2021(सीयू) दिनांक: 24 अप्रैल 2023
 3. दिनांक 02.05.2023 को कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित।

उद्धृत पत्र के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के पेंशनभोगियों की महंगाई राहत को सातवें वेतन आयोग के अनुसार 38% की मौजूदा दर से 42% की बढ़ी हुई दर पर अंगीकार किया गया है।

सेवा में

1. वित्त अधिकारी(संदर्भ के अंतर्गत कार्यालय ज्ञापन की प्रति के साथ)
2. कुलपति/ कुलसचिव/ ओएसडी-I/ओएसडी-II कार्यालय
3. वेतन एवं व्यक्तिगत दावें अनुभाग
4. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र (वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु)
5. संबंधित फाइल

कुलसचिव
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी
Maulana Azad National Urdu University
गञ्जीबोली, हैदराबाद-500 032.
Gachibowli, Hyderabad-500 032.